

प्रपत्र VI “क”  
झारखण्ड सरकार  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग  
(भू-अर्जन निदेशालय)

या  
समहर्ता या समुचित सरकार  
प्रारम्भिक अधिसूचना

(अधिनियम-30/2013 की धारा-11(1)के अधीन)

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम कुटमाकच्छार थाना- कुरडेग थाना न0 -04 अंचल- कुरडेग जिला- सिमडेगा में भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ यथा परियोजना- सिमडेगा से सेवई, किनकेल, कुरडेग, कुटमाकच्छार छतीसगढ़ सीमा पथ चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम- कुटमाकच्छार थाना- कुरडेग थाना न0 -04 अंचल- कुरडेग जिला- सिमडेगा में कथित परियोजना के लिए कमोवेश 0.15 एकड़ यानि 0.0606 हेक्टेयर मानक माप का भूखण्ड जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है-

क्रम संख्या	खाता सं०	सर्वे भूखण्ड सं०	स्वमित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल एकड़ में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	भूखण्ड की चौहदी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	316	3982	रैयती	आवासेय योग्य	0.15	ईश्वर साव पिता स्व० मगन साव	उ०-प्लॉट न० 3982 का अंश। द०- प्लॉट न० 3982 का अंश। पू०- सड़क। प०- प्लॉट न० 3982 का अंश
कुल रकबा-					0.15		

यह अधिसूचना भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में अचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 अधिनियम संख्या- 30/2013 की धारा -11 के उपबधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है। भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी सिमडेगा के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता-सह- समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथाउपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समूचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी

भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टी करने किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए अवभूमि खोदने या भू-वेधन- छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी सिमडेगा और उनके कर्मचारी को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4)के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारम्भिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा कय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण नहीं करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा- 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ(60) दिनों के अंतर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार का आपत्तियाँ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी सिमडेगा के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

समाहर्ता  
सिमडेगा।

**प्रपत्र VII**  
**झारखण्ड सरकार**  
**राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग**  
**(भू-अर्जन निदेशालय)**  
**या**  
**समाहर्ता या समुचित सरकार**  
**अधिघोषणा**

(अधिनियम-30/2013 की धारा-19(1) के अधीन)

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम कुटमाकच्छार थाना कुरडेग थाना न0 04 अंचल कुरडेग जिला सिमडेगा में भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ यथा परियोजना:- सिमडेगा - सेवई - किनकेल - कुरडेग - कुटमाकच्छार से छत्तीसगढ़ सीमा पथ चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण हेतु कुल - 0.15 एकड़ यानि 0.0606 हेक्टेयर अपेक्षित है।

इसलिए अधिघोषणा किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खण्ड मानक माप से कमोवेश 0.15 एकड़ यानि 0.0606 हेक्टेयर है। जो ग्राम- कुटमाकच्छार, थाना- कुरडेग, थाना न0- 04, अंचल- कुरडेग, जिला- सिमडेगा में है। जिसका विवरण निम्नलिखित है: -

क्रम संख्या	खाता सं0	सर्वे भूखण्ड सं0	स्वमित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल एकड़ में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	भूखण्ड की सीमा
1	2	3	4	5	6	7	8
1	316	3982	रैयती	आवासीय योग्य	0.15	ईश्वर साव पिता स्व0 मगन साव	उ0- प्लॉट न0-3982 का अंश। द0- प्लॉट न0-3982 का अंश। पू0- सड़क।  प0- प्लॉटन0-3982 का अंश।
कुल:-					0.15		

यह अधिघोषणा हितबद्ध व्यक्तियों की आपत्तियों के सुनने और अधिनियम सं0-30/2013 की धारा-15 में प्रदत्त यथा उपबंधित समयक जांच के पश्चात किया गया है। जिला भू-अर्जन पदाधिकारी सिमडेगा के कार्यालय में किसी कार्य दिवस के दिन भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

समाहर्ता,  
सिमडेगा।

**प्रपत्र VII**  
**झारखण्ड सरकार**  
**राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग**  
**(भू-अर्जन निदेशालय)**  
**या**  
**समाहर्ता या समुचित सरकार**  
**अधिघोषणा का प्रारूप**  
**(अधिनियम-30/2013 की धारा-19(1) के अधीन)**

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम कुटमाकच्छार थाना कुरडेग थाना न0 04 अंचल कुरडेग जिला सिमडेगा में भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ यथा परियोजना:- सिमडेगा - सेवई - किनकेल - कुरडेग - कुटमाकच्छार से छत्तीसगढ़ सीमा पथ चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण हेतु कुल - 0.15 एकड़ यानि 0.0606 हेक्टेयर अपेक्षित है।

इसलिए अधिघोषणा किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खण्ड मानक माप से कमोवेश 0.15 एकड़ यानि 0.0606 हेक्टेयर है। जो ग्राम- कुटमाकच्छार, थाना- कुरडेग, थाना न0- 04, अंचल- कुरडेग, जिला- सिमडेगा में है। जिसका विवरण निम्नलिखित है: -

क्रम संख्या	खाता सं0	सर्वे भूखण्ड सं0	स्वमित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल एकड़ में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	भूखण्ड की सीमा
1	2	3	4	5	6	7	8
1	316	3982	रैयती	आवासीय योग्य	0.15	ईश्वर साव पिता स्व0 मगन साव	उ0- प्लॉट न0-3982 का अंश। द0- प्लॉट न0-3982 का अंश। पू0- सड़क।  प0- प्लॉटन0-3982 का अंश।
<b>कुल:-</b>					<b>0.15</b>		

यह अधिघोषणा हितबद्ध व्यक्तियों की आपत्तियों के सुनने और अधिनियम सं0-30/2013 की धारा-15 में प्रदत्त यथा उपबंधित समयक जांच के पश्चात किया गया है। जिला भू-अर्जन पदाधिकारी सिमडेगा के कार्यालय में किसी कार्य दिवस के दिन भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

कानूनगो  
भू-अर्जन  
सिमडेगा।

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी  
सिमडेगा।

अपर समाहर्ता  
सिमडेगा।

उपायुक्त  
सिमडेगा।